



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर –492001
फोन नं. –0771–2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट—www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 1868 / 14 / चयन / 2020

दिनांक 126 AUG 2020

दस्तावेज सत्यापन-पत्र

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)

महोदय / महोदया,

पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग) के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित पाली प्रथम पाली— पूर्वान्ह 09.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा द्वितीय पाली— अपराह्न 01.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित/अनर्ह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. दस्तावेज सत्यापन के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय में अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति देंवें।

- 2.1 सफलतापूर्वक ऑनलॉइन दस्तावेज सत्यापन बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन—पत्र (03 प्रति में) (तीनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाउनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।
- 2.2 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (तीनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। (अनुप्रमाणन पत्रक की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जायेगा) अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी तीन मूल प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

- 2.3 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग) के पद के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 04 / 2020 / परीक्षा / दिनांक 12.02.2020 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 19.02.2020 के अनुसार शैक्षणिक अर्हता विज्ञापन की कंडिका (2) के (iv) के अनुसार अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19 / 06 / 2020 तक का अथवा इसके पूर्व का होना अनिवार्य है। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

(Signature)

- 2.4 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को दस्तावेज सत्यापन के लिये उपरिथित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात पुनर्वैधिकृत प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.5 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया “जाति प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को “गैर क्रीमीलेयर” में आने के संबंध में “आय प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी “जाति प्रमाण पत्र” (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.6 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/नीजि प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता /सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 2.8 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 2.9 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.10 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.11 आपके द्वारा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (**पशुधन विभाग**) के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआऊट) की प्रति के साथ-साथ पहचान-पत्र जैसे मतदाता पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(Signature)

3. यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता है) के साथ निर्धारित तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
4. यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को साक्षात्कार के लिये अनर्ह माना जायेगा।
5. विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2020 से की जायेगी।
6. नोवेल कोराना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हेंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हेंड सेनेटाईजर के बिना दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होगा उन्हें दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

31/26.8.2020
परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग
 रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
दस्तावेज सत्यापन समय-सारिणी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)–2020

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
	VS010420101166	VS040420101198
	VS010420101168	VS040420101199
	VS010420101169	VS040420101200
	VS010420101170	VS040420101208
	VS010420101171	VS040420101252
	VS010420101172	VS050420101201
	VS010420101176	VS050420101202
	VS010420101177	VS050420101204
	VS010420101216	VS050420101206
	VS010420101288	VS050420101221
	VS010420101314	VS050420101437
	VS020420101174	VS060420101210
	VS020420101175	VS060420101214
	VS020420101180	VS060420101215
	VS020420101181	VS070420101213
	VS020420101182	VS070420101217
	VS020420101183	VS070420101218
	VS020420101184	VS070420101219
	VS020420101185	VS070420101232
	VS020420101196	VS070420101261
	VS020420101207	VS080420101222
	VS020420101227	VS080420101223
	VS020420101311	VS080420101224
	VS030420101186	VS080420101229
	VS030420101189	VS080420101281
	VS030420101209	VS080420101298
	VS030420101236	VS090420101230
	VS030420101238	VS090420101249
	VS030420101270	VS090420101259
	VS040420101192	VS090620101426
	VS040420101194	VS100420101233
	VS040420101197	VS100420101235

31-08-2020

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
दस्तावेज सत्यापन समय–सारिणी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)–2020

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
01-09-2020	VS100420101237	VS130420101264
	VS100420101245	VS130420101265
	VS100420101276	VS130420101268
	VS100620101427	VS130420101285
	VS100620101428	VS130420101306
	VS110420101239	VS140420101269
	VS110420101240	VS140420101272
	VS110420101242	VS140420101277
	VS110420101275	VS140420101278
	VS110620101429	VS140420101279
	VS110620101430	VS140420101280
	VS110620101431	VS140420101282
	VS110620101435	VS140420101283
	VS110620101438	VS140420101286
	VS110620101439	VS140420101289
	VS120420101243	VS140420101291
	VS120420101244	VS140420101292
	VS120420101246	VS140420101299
	VS120420101247	VS140420101312
	VS120420101248	VS140620101443
	VS120420101250	VS150420101290
	VS120420101260	VS150420101293
	VS120420101271	VS150420101294
	VS120420101274	VS150420101295
	VS120420101284	VS150420101296
	VS120620101432	VS150420101297
	VS120620101433	VS150420101300
	VS120620101434	VS150420101301
	VS130420101253	VS150420101302
	VS130420101254	VS150420101304
	VS130420101255	VS150420101330
	VS130420101256	VS160420101303

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
दस्तावेज सत्यापन समय—सारिणी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)–2020

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
02-09-2020	VS160420101305	VS180320100006
	VS160420101307	VS180320100007
	VS160420101308	VS180320100008
	VS160420101309	VS180320100009
	VS160420101310	VS180320100010
	VS160420101313	VS180320100011
	VS160420101315	VS180320100012
	VS160420101316	VS180320100013
	VS160420101317	VS180320100014
	VS160420101319	VS180320100015
	VS160420101320	VS180320100016
	VS160420101321	VS180320100017
	VS160420101322	VS180320100018
	VS160420101323	VS180320100019
	VS160420101324	VS180320100020
	VS160420101325	VS180320100021
	VS160420101326	VS180320100022
	VS160420101327	VS180320100023
	VS160420101328	VS180320100024
	VS160420101329	VS180320100025
	VS160420101331	VS180320100026
	VS160420101332	VS180320100027
	VS160420101333	VS180320100028
	VS160420101334	VS180320100029
	VS160420101335	VS180320100030
	VS160420101336	VS180320100031
	VS160620101436	VS180320100032
	VS180320100001	VS180320100033
	VS180320100002	VS180320100034
	VS180320100003	VS180320100035
	VS180320100004	VS180320100036
	VS180320100005	VS180320100037

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
दस्तावेज सत्यापन समय—सारिणी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)–2020

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
03-09-2020	VS180320100038	VS190320100049
	VS180320100039	VS190320100050
	VS180320100040	VS190320100055
	VS180320100042	VS190320100058
	VS180320100065	VS190320100062
	VS180320100079	VS190320100066
	VS180320100084	VS190320101110
	VS180320100087	VS190320101114
	VS180320100100	VS190320101212
	VS180320101111	VS190320101228
	VS180320101120	VS190620101444
	VS180320101121	VS190620101447
	VS180320101125	VS190620101448
	VS180320101128	VS200320100051
	VS180320101132	VS200320100052
	VS180320101149	VS200320100053
	VS180320101157	VS200320100054
	VS180320101167	VS200320100056
	VS180320101220	VS200320100057
	VS180320101257	VS200320100059
	VS180620101440	VS200320100060
	VS180620101441	VS200320100061
	VS180620101442	VS200320100102
	VS180620101445	VS200320100106
	VS180620101446	VS200320101118
	VS190320100041	VS200320101241
	VS190320100043	VS210320100063
	VS190320100044	VS210320100064
	VS190320100045	VS210320100068
	VS190320100046	VS210320100073
	VS190320100047	VS210320101107
	VS190320100048	VS210320101158

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
दस्तावेज सत्यापन समय-सारिणी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)–2020

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
04-09-2020	VS210320101258	VS250320100091
	VS210320101318	VS250320100093
	VS220320100067	VS250320100094
	VS220320100069	VS250320100095
	VS220320100070	VS250320100096
	VS220320100080	VS250320100098
	VS220320101133	VS250320100099
	VS230320100071	VS250320100101
	VS230320100072	VS250320100103
	VS230320100074	VS250320100104
	VS230320100075	VS250320100105
	VS230320100077	VS250320101108
	VS230320100081	VS250320101146
	VS230320100097	VS250320101150
	VS230320101141	VS250320101234
	VS230320101188	VS260320100107
	VS230320101211	VS260320100108
	VS230320101231	VS260320100109
	VS230320101267	VS260320101109
	VS230320101287	VS260320101112
	VS240320100076	VS260320101113
	VS240320100078	VS260320101115
	VS240320100082	VS260320101116
	VS240320100092	VS260320101117
	VS240320101225	VS260320101122
	VS240320101263	VS260320101139
	VS250320100083	VS260320101262
	VS250320100085	VS260320101273
	VS250320100086	VS270320101119
	VS250320100088	VS270320101123
	VS250320100089	VS270320101124
	VS250320100090	VS270320101126

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
दस्तावेज सत्यापन समय—सारिणी
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (पशुधन विकास विभाग)–2020

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
	VS270320101130	
	VS270320101136	
	VS270320101137	
	VS270320101142	
	VS270320101187	
	VS270320101190	
	VS270320101203	
	VS280320101127	
	VS280320101129	
	VS280320101131	
	VS280320101135	
	VS280320101151	
	VS280320101162	
	VS280320101165	
	VS280320101191	
	VS280320101193	
	VS280320101195	
	VS280320101205	
	VS290320101134	
	VS290320101138	
05-09-2020	VS290320101140	
	VS290320101143	
	VS290320101144	
	VS290320101145	
	VS290320101173	
	VS290320101226	
	VS300320101147	
	VS300320101148	
	VS300320101152	
	VS300320101153	
	VS300320101154	
	VS300320101179	
	VS300320101251	
	VS300320101266	
	VS310320101155	
	VS310320101156	
	VS310320101159	
	VS310320101160	
	VS310320101161	
	VS310320101163	
	VS310320101164	
	VS310320101178	

टीप :— आयोग द्वारा दस्तावेज बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अन्यर्थी दस्तावेज बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

26.8.2020
परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर